रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1986/भाद्र 29, 1908

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1986/BHADRA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1986

का. नि. आ 285.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भण्डारी, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती नियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भंडारी, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वायुसेना ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भंडारी, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद से संबंधित मद संख्या 1 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अचयन"

[फा. सं. वायु सेना मुख्यालय/23049/337/पी सी 3(ए)]
एम. सी. जुनेजा, अवर सचिव

टिप्पण:— मूल नियम सरकारी अधिसूचना, रक्षा मंत्रालय, सं. का नि. आ. 27, तारीख 9 जनवरी, 1979 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें संशोधन का. नि. आ. 27, तारीख 5 जनवरी, 1983 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st September, 1986

S.R.O. 285.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent Senior Storekeeper, Storekeeper and Assistant Storekeeper (civilian) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent, Senior Storekeeper, Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent, Senior Storekeeper, Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian) Recruitment Rules, 1979, against item number 1 relating to the post of Senior Store Superintendent for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Non-Selection".

[File No. Air Hq./23049/337/PC3(A)]

M. C. JUNEJA, Under Secy.

Note .The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, sub-section (1) vide Govt. Notification, Ministry of Defence No. SRO 27 dated 09th January, 1979 and subsequently amended by SRO 27 dated the 05th January, 1983.

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1986

का. नि. आ. 286.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटरक्षक ज्येष्ठ डिजाइन (संनिर्माण) और कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी, विद्युत और रेडियो) भर्ती नियम, 1983 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी (संनिर्माण) और कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी, विद्युत और रेडियो) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तटरक्षक ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी (संनिर्माण) और कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी, विद्युत और रेडियो) भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी, विद्युत और रेडियो) के पद से संबंधित मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	6क
2. कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरी, विद्युत और रेडियो)	*2 (1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-व. रो.-35-880-40-1000-व. रो.-40-1200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

7	8	9
आवश्यक:— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/सामुद्रिक/विद्युत/दूरसंचार इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (2) दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक : अर्हताएं : नहीं, किन्तु उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक सामुद्रिक, विद्युत, दूरसंचार इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य होनी चाहिए या उसने डाक यार्ड प्रशिक्षुता सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2 वर्ष

7	8	9
टिप्पण: 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय: (i) किसी युद्धपोत डिजाइन कार्यालय में व्यावहारिक अनुभव। (ii) नौसेना युद्धपोत मशीनरी और उपकरणों की जानकारी। टिप्पण: (i) में की ठीक-ठीक तकनिक अर्हताएं प्रत्येक अवसर पर भर्ती के समय उपदर्शित की जाएंगी।		

10	11	12	13
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो नियमित आधार पर संघ पर धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 550-750/900 रु. के या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यथाविहित अनुभव है। 2. विभागीय मुख्य नक्शानवीस पर, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, भी विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (फिडर प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय —अध्यक्ष 2. निदेशक (सामग्री) तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य 3. निदेशक (कार्मिक) तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी, किन्तु यदि उक्त आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सी. पी./0113(जि0 15)]
एन. सी.एस. नेगी, डैस्क अधिकारी

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 तारीख 15 जनवरी, 1983 में पृष्ठ 22 से 24 पर, रक्षा मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. का. नि. आ. 12 तारीख 3 जनवरी, 1984 के अधीन प्रकाशित।

New Delhi, the 21st August, 1986.

S.R.O. 286 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Coast Guard Senior Design Officer (Construction) and Junior Design Officer (Engineering/Electrical and Radio) Recruitment Rules 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coast Guard Senior Design Officer (Construction) and Junior Design Officer (Engineering/Electrical and Radio) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coast Guard Senior Design Officer (Construction) and Junior Design Officer (Engineering/Electrical and Radio) Recruitment Rules, 1983, for item 2 relating to the post of Junior Design Officer (Engineering/Electrical and Radio) and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6(a)
"2. Junior Design Officer (Engineering Electrical and Radio)	2* (1986) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted-Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree in Mechanical/Marine/Electrical/Tele-communication Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' professional experience. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Practical experience in a warship design office. (ii) Familiarity with Naval warship machinery and equipment. Note : The exact educational qualification in (i) shall be indicated at the time of recruitment on each occasion.	Age : No Educational Qualifications : No but must atleast Diploma in Mechanical /Marine/Electrical/ Telecommunication Engineering from a recognised University or equivalent or should have successfully completed Dockyard Apprenticeship.	2 years	(i) 50% by promotion/transfer on deputation, failing which by direct recruitment. (ii) 50% by transfer on deputation, failing which by direct rectt.

(11)	(12)	(13)
Promotion/Transfer on deputation: 1. Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-750/900 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications as in Column 8 and experience as prescribed for direct recruits under Column 7. 2. The departmental Head Draughtsman with 3 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible of consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately proceeding the appointment in the same organisation/department shall not ordinarly exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) 1. Deputy Director General Coast Guard Head-quarters—Chairman. 2. Director (Material) Coast Guard Head-quarters—Member. 3. Director (Personnel) Coast Guard Head-quareters—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmasion shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the U.P.S.C. shall be held.	Consultation with the Commission necessary except while appointing an officer on deputation.

[File No. CP/0113 (Vol. XV]

N.C.S. NEGI, Desk Officer.

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II-Section 4 dated the 15th January, 1983 at pages 25 to 27 vide Government notification, Ministry of Defence S.R.O. 12 dated the 3rd January, 1983.

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 1986

का.नि.आ. 287.—यतः भारत सरकार रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29(1) के अन्तर्गत रक्षा प्रयोजनों के लिए अलवर के कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश सं. एफ-29/एन ई सी/2266-68 दिनांक 27-2-63 के द्वारा अलवर कस्बे बाहरी सीमा पर स्थित "इतरानारूंध" नामक जगह की 2, 404, 00 एकड़ माप की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था जिसका विवरण /ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम. सं.)	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	क्षेत्र एकड़ में
1		2	3	4
1.	अलवर	अलवर	गुण्डपुर	103
			भंजीत	422
			देसूला,	179
			नाहरपुर	273
			समोला	46
			इतराना	605
			छीतरपुर	403
			पलका	232
			बीरका	141
				2,404

और यतः अलवर के कलक्टर ने उक्त भूमि एवं सम्पत्तियों के लिए 18,992 रु. वार्षिक दर से आवर्ती का अधिनिर्णय दिया था। इस क्षतिपूर्ति की राशि से व्यथित भू-स्वामियों ने 1953 के आर ए आई पी नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मध्यस्थ की नियुक्तियां के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा समय-समय मध्यस्थों की नियुक्तियां की गई और अलवर के श्री जे.पी. बंसल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 को राज्य सरकार ने अपने आदेश सं. 22(31) जी ए/ए/जी आर. 1/64 दिनांक 28-4-76 के द्वारा प्रतिसंहरण कर दिया गया था।

और यत : राजस्थान सरकार के उक्त आदेश से व्यथित श्री महाराज कुमार, श्री यशवंत सिंह ने राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर शाखा जयपुर में सी डी डब्ल्यू 1043/76 वाद दायर कर दिया।

और यतः राजस्थान सरकार उक्त भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा कर रही है। क्योंकि यह दावा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिनियम, 1952 के पुनरारम्भ के अनुसरण में अधिग्रहीत है और राज्य सरकार में निहित है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार स्थावर सम्पत्ति अधिनियम, 1952 के अधिग्रहण और अर्जन की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निवृत्तमान न्यायाधीश श्री वी.एन. लोकर को उक्त भूमि/परसम्पत्तियों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की मात्रा के निर्धारण के लिए और यह क्षतिपूर्ति किन लोगों को दी जानी है इसका निर्णय करने के लिए एतद्द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करती है।

[फा. सं. 801/1388/अधिग्रहण/द.क./र.स.]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 10th September, 1986

S.R.O. 287 :—Whereas Collector and Distt. Magistrate Alwar had vide his order No. F-29/NEC/2265-68 dated 27-2-63 under Section 29(1) of the Defence of India Act 1962, requisitioned agricultural land measuring 2,404.00 acres for the defence purposes in the property known as 'Itarana Roondh' situated on the outskirts of Alwar Town as per the following details :—

Sl. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Area in the acres
1	Alwar	Alwar	Gundpur	103
			Bhanjeet	422
			Desula	179
			Naharpur	273
			Samola	46
			Itarana	605
			Chhitarpur	403
			Palaka	232
			Beerka	141
				2,404

And whereas the Collector Alwar awarded recurring compensation at Rs. 18,992/- per annum for the land and assets. Aggrieved with this Award, the owner applied for arbitration under Rule 9 of the RAIP Rules 1953. The State Govt. appointed Arbitrators from time to time and the appointment of Shri J.P. Bansal, Addl. Distt. & Session's Judge No. 2, Alwar was revoked by the Govt. of Rajasthan vide their order No. 22(31)GA/A/Gr. I/64 dated 28-4-76.

And whereas aggrieved with the above order of the Govt. of Rajasthan, the Maharaj Kumar Shri Yaswant Singh filed CPW No. 1043/76 before the High Court of Judicature for Rajasthan, Jaipur Branch, Jaipur against order of the State Govt.

And whereas Hon'ble Rajasthan High Court has directed in CWP No. 1043/76 that Union of India should appoint an Arbitrator to determine the Compensation for the period 3rd March, 1963 to 10th March, 1971 when the property remained under requisition.

And whereas Govt. of Rajasthan is claiming their ownership over the land as it stood resumed by them in persuance of the Rajasthan land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 and vested in the State Govt.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Clause (b) of subsection (1) of Section 8 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, the Central Govt. hereby appoints Shri Justice B.N. Lokur, retired Judge of the Allahabad High Court as an Arbitrator to determine the amount of compensation in respect of the said land/assets and the persons to whom such compensation shall be paid.

[File No. 801/1388/Reqn/SC/DE.]
KARTAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

का. नि. आ. 288. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (पंचर) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में पंचर के अराजपत्रित, अननुसचिवीय समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (पंचर) भर्ती नियम, 1986 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।,

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पंचर	*16 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अननुसचिवीय अराजपत्रित,,	260-6-326-द. रो.-8-350 रु. (पुनरीक्षित)	लागू नहीं होता	19 से 23 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
6(क)	7	8
नहीं	(1) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण। (2) उत्कीर्णन मशीन पर गोल पदकों के किनारों पर 100 पदक प्रतिदिन की गति से अंक पंच करने का और तारकों के पृष्ठ भाग पर अक्षर और अंक ठप्पे की सहायता से कम से कम 50 तारक प्रतिदिन सहित हाथ से अक्षर और अंक उत्कीर्ण करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव। (3) उत्कीर्णन मशीन की छोटी-मोटी मरम्मत और समायोजन करने में सक्षम। (4) इतना समझदार हो कि एक प्रकार के तारक/पदक को दूसरे प्रकार के तारक/पदक से भेद कर सके।	(क) रक्षा मंत्रालय सचिवालय के समूह (घ) कर्मचारियों की बाबत आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (ख) स्तम्भ 7 में विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं उपरोक्त (क) में वर्णित विभागीय नियुक्त व्यक्तियों की बाबत भी लागू होंगी।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
9	10	11
दो वर्ष	(क) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) रक्षा मंत्रालय सचिवालय के ऐसे संवृंद "घ" कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जो स्तम्भ 7 और 8 के मानदण्ड को पूरा करते हों, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	रक्षा मंत्रालय सचिवालय के ऐसे संवृंद "घ" कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप सचिव (स्थापना) —अध्यक्ष 2. उप सचिव (उत्पादन) —सदस्य 3. उप सचिव (सिविलियन कार्मिक) —सदस्य 4. उप वित्त सलाहकार (स्थापना और मुख्य कार्यालय) —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-48015/3/85/डी. (स्था.-1/यूप-I]

New Delhi, the 28th August, 1986

S.R.O. 288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence (Puncher) Recruitment Rules, 1975, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group 'C' posts of Puncher in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence (Puncher) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
Puncher	*16 *Subject to	General Central Service	Rs. 260-6-32 - EB--8-350	Not applicable	Between 19 to 23 years (Relaxable for Government	No

2	3	4	6
variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial Non-Gazetted	(Revised)	servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
(1) Middle School Standard pass. (2) Atleast one year's experience in Punching letters and figures on rims of round medals on Engraving Machine with a minimum speed of 100 medals per day and engraving letters and figures on reverse of stars by hand with the help of dies, with a minimum of 50 stars per day. (3) Capable of carrying out minor repairs to and adjustments to engraving machine. (4) Intelligent enough to distinguish one kind of star/medal from another.	(a) Age limit relaxable upto 45 years in respect of Group 'D' employees of the Ministry of Defence Secretariat. (b) Educational and other qualifications prescribed under column 7 will also apply in respect of the Departmental appointees mentioned in (a) above.	Two years	(a) 50% by direct recruitment. (b) 50% by promotion from Group 'D' employees of the Ministry of Defence Secretariat who fulfil the criteria under column 7 and 8, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
By promotion from Group 'D' employees of the Ministry of Defence Secretariat with three years regular service.	Departmental Promotion Committee : 1. Deputy Secretary (Establishment —Chairman 2. Deputy Secretary (Production)—Member 3. Deputy Secretary (Civilian Personnel)—Member 4. Deputy Financial Adviser (Establishment and Main Office)—Member	Not applicable."

[File No. A-43015/3/85/D(Estt. I/Gp. I)]

का. नि. आ. 289 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, वर्ग 3 (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 1965 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में शौफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (शौफर का पद) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही
1	2	3	4	5	6	6क
शोफर	11* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय अराजपत्रित	260-6-326-द.रो.-8-366-द.रो.-8-390-400 रु.	लागू नही होता	23 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक भारत में अभ्यर्थियों-से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नही

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक (i) उसके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

7
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान, और (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय : आठवां स्तर उत्तीर्ण

भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
10	11
प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	रक्षा मंत्रालय के ऐसे नियमित सवार हरकारों (समूह "ग") और समूह "घ" कर्मचारियों में से स्टाफकार के चालकों में आवश्यक समझी जाने वाली सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अभिकल्पित चालन में परीक्षा के परिणाम के आधार पर स्थानांतरण द्वारा जिसके पास स्तंभ 7 में उल्लिखित अर्हताएं हैं या अन्य मंत्रालयों/विभागों में स्टाफ कार चालकों के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उस संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के लिए (i) उप सचिव (स्थापना) —अध्यक्ष (ii) उप सचिव (उत्पादन) —सदस्य (iii) उप सचिव (सिविलियन कार्मिक) —सदस्य (iv) उप वित्तीय सलाहकार (मुख्य कार्यालय/स्थापन) —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 48015/7/85/डी (स्था. 1/ग्रुप 1)]
एस० एम. रत्नपाल, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—
1. 1965 का का.नि.आ.सं. 135
2. 1966 का का.नि.आ.सं. 152
3. 1969 का का.नि.आ.सं. 248
4. 1971 का का.नि.आ.सं. 219
5. 1972 का का.नि.आ.सं. 323

S.R.O. 289.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence Class III (non-gazetted, non-ministreial) posts Recruitment Rules, 1965, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating method of recruitment to the post of Chauffeur in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence (Chauffeur's post) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recriutment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chauffeur	11* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 260-6-326-EB-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable	Between 23—30 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6(a)	7	8	9	10
No.	Essential : (i) Possession of a valid driving licence for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism and (iii) Experience of driving motor car for alteast five years. Desirable : A pass in the eighth standard.	Not applicable	2 years	By transfer or deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
11	12	13
By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars from amongst regular Despatch Riders (Group 'C') and Group 'D' employees of the Ministry of Defence possessing the qualifications mentioned in column 7, or by deputation or transfer of persons holding the post of staff car drivers in other Ministries or Departments. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 2 years).	For confirmation of direct recruits : (i) Deputy Secretary (Establishment)—Chairman (ii) Deputy Secretary (Production)—Member (iii) Deputy Secretary (Civilian Personnel)—Member (iv) Deputy Financial Adviser (Main Office/Establishment)—Member	Not applicable."

[P. No. A-48015/7/85/D (Estt. I/Gp. I]
S.M. RATAN PAUL, Under Secy.

Foot Note—
(1) SRO No. 135 of 1965
(2) SRO No. 152 of 1966
(3) SRO No. 248 of 1969
(4) SRO No. 9 of 1971

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

का.नि.आ. 290.केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948(1948 का 31)की धारा 12 की उपधारा(1) और (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम.पी.कौशिक, संसद सदस्य (राज्य सभा),श्री प्रिय रंजन दास मुंशी, संसद सदस्य(लोक सभा), श्री मोहम्मद अयूब खां, संसद सदस्य(लोक सभा),श्री संजीत राय, डा. नरोत्तम पुरी, सचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ, लेफ्टि. कर्नल अवतार सिंह चीमा (सेवा निवृत्त)और प्रो. महेन्द्र मोहन चक्रवर्ती की राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ.76ई., तारीख 10 अक्तूबर, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में

(क)"धारा 12 की उपधारा(1)के खण्ड (ज) के अधीन"शीर्षक के नीचे प्रविष्टि(8),(9),(10),(11)और (12) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(8) श्रीसंजीत राय,
2 मई, 1986 से मनोनीत —सदस्य,

(9) डा. नरोत्तम पुरी,
2 मई, 1986 से मनोनीत —सदस्य,

(10) सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ,
2 मई, 1986 से मनोनीत —सदस्य,

(11) लेफ्टि.कर्नल अवतार सिंह चीमा (सेवानिवृत्त)
2 मई, 1986 से मनोनीत —सदस्य,

(12) प्रो.महेन्द्र मोहन चक्रवर्ती,
2 मई, 1986 से मनोनीत —सदस्य,

(ख) "धारा 12 की उपधारा(1)के खण्ड(झ) के अधीन" प्रविष्ट (13),(14)और (15)के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(15) श्री एम.पी.कौशिक, संसद सदस्य(राज्य सभा)
5 अगस्त, 1986 से निर्वाचित, —सदस्य,

(13) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी,
संसद सदस्य(लोक सभा),
9 अप्रैल, 1986 से निर्वाचित —सदस्य,

(14) श्री मोहम्मद अयूब खां,
संसद सदस्य(लोक सभा)
9 अप्रैल, 1986 से निर्वाचित —सदस्य"

हृष देव सिन्हा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1986

S.R.O. 290.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (1A) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government he eby notifies the appointment of Shri M. P. Kaushik, Member of Parliament (Rajya Sabha), Shri Priya Ranjan Das Munshi, Member of Parliament (Lok Sabha), Shri Mohd. Ayub Khan, Member of Parliament (Lok Sabha) Shri Sanjit Roy, Dr. Narottam Puri, Secretary, Association of Indian Universities, Lt. Cl. Avtar Singh Chema (Red.) and Prf. Mahindra Chakrabarty, as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and of that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 76E, dated the 10th October, 1983, as follows namely:—

In the said notification, under the heading (a) "under clause (h) of sub-section (1) of Section 12", for the entries (8), (9), (10), (11) and (12) the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"(8) Shri Sanjit Roy, nominated with effect from 2nd May, 1986.—Member

(9) Dr. Narottam Puri nominated with effect from 2nd May, 1986—Member

(10) Secretary, Association of Indian Universities nominated with effect from 2nd May, 1986—Member

(11) Lt. Col. Avtar Singh Cheema (Retd.) nominated with effect from 2nd May, 1986—Member

(12) Prof. Mohindra Mohan Chakrabarty, nominated with effect from 2nd May, 1986—Member"

(b) "under clause (i) of sub-section (1) of section 12" for the entries (13), (14) and (15) ,the following entries shall respectively be substituted namely :—

"(15) Shri M. P. Kaushik, Member of Parliament, (Rajya Sabha) elected with effect from 5th August, 1986 —Member

(13) Shri Priya Ranjan Das Munshi, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from 9th April, 1986—Member

(14) Shri Mohd. Ayub Khan, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from 9th April, 1986—Member."

H. D. SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1986

का.नि.आ. 291:—कितिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924(1924 का 2)की धारा 94—क की उपधारा (6)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 280 की उपधारा(1)की अपेक्षानुसार अधिसूचना की भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के का.नि.आदेश संख्या 114 दिनांक 25—2—1986 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग—2, खण्ड—4 दिनांक 15 मार्च, 1986 को प्रकाशित किया गया था, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से आपत्तियां व सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक मांगी गई थी। जिनके इससे प्रभावित होने की संभावनाएं थी।

20 मार्च, 1986 को उक्त राजपत्र सभी लोगों को उपलब्ध करा दिया गया था।

अनुबद्ध अवधि तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अब अतः उक्त अधिनियम के खण्ड 94—क के उप खण्ड(6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट निष्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट निष्पादन) नियम, 1986 है।,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924(1924 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग)"स्थावर सम्पत्ति"से वह अभिप्रेत है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882(1882 का 4)में परिभाषित है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. विक्रय-कार्यवाही का प्रारंभ—जहां अधिनियम की धारा 94-क के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति कुर्क की गई है, वहां कार्यपालक अधिकारी, कुर्की की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, विक्रय द्वारा इस प्रकार कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति से व्ययन के लिए कार्यवाही करेंगे।

4. लोक नीलामी द्वारा विक्रय करना—कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग (यदि वह विभाज्य है) यदि उसे सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता है, का प्रत्येक विक्रय कार्यपालक अधिकारी के आदेश से लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थावर सम्पत्ति को सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता या नहीं, इसका विनिश्चय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कार्यपालक अधिकारी करेगा।

5. विक्रय की सूचना—(1) इन नियमों के अधीन लोक नीलामी द्वारा प्रत्येक प्रशासित विक्रय की सूचना, विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को ध्यान में रखते हुए और जितनी भी बार कार्यपालक अधिकारी निदेश दें ऐसे रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र में, जो स्थानीय क्षेत्रों में परिचालन में प्रकाशित की जाएगी।

(2) सूचना में विक्रय की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और इसमें सम्पत्ति का विवरण और विशिष्टियां होंगी।

6 विक्रय की शर्तें—कार्यपालक अधिकारी, एक आरक्षित बोली नियत करेगा, जो विक्रय से पूर्व या विक्रय के समय या उसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी। प्रत्येक विक्रय को ऐसी शर्तों विनयमित किया जाएगा जो साधारणतः प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगी। उससे होने वाला कोई विचलन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा। सूचना और प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट विक्रय की शर्तों की एक प्रति सम्पत्ति के सहजदृश्य भाग पर और छावनी बोर्ड के कार्यालय के सहज दृश्य भाग पर और जहां सम्पत्ति ऐसी भूमि है जिस पर सरकार को राजस्व दिया जा रहा है वहां उस जिले के कलक्टर के कार्यालय में भी, जहां भूमि स्थित है और ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें बोर्ड निर्दिष्ट करे, लगाई जाएगी।

7. विक्रय की मुल्तवी —यदि कोई बोली नहीं होती है या सबसे ऊंची बोली आरक्षित कीमत से कम होती है तो कार्यपालक अधिकारी विक्रय को मुल्तवी कर देगा।

8. निक्षेप तत्काल किया जाएगा— यदि निक्षिप्त की जाने वाली रकम तुरन्त संदत्त नहीं की जाती है या कार्यपालक अधिकारी के पास निक्षिप्त नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति को बोली, जिसे अन्यथा क्रेता घोषित किया जाता, नामंजूर कर दी जाएगी और सम्पत्ति को तुरन्त विक्रय के लिए फिर रखा जाएगा।

9. बोली आरक्षित कीमत से कम होने पर कब स्वीकृत की जा सकती है:—कार्यपालक अधिकारी, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी बोली को स्वीकार कर सकेगा, जो आरक्षित कीमत से कम है।

10. विक्रय के आगम का उपयोजन—कार्यपालक अधिकारी विक्रय के आगम या उसके किसी भाग का उपयोजन वहां करेगा जहां देय राशि के उन्मोचन और वसूली के खर्चे के लिए अपेक्षित होगी। विक्रय और स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए फीस, यदि कोई हो, की भी वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

11. अधिशेष रकम किस प्रकार वापस की जाएगी—अधिशेष रकम, यदि कोई हो, तत्काल छावनी निधि में जमा की जाएगी और उसकी विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर कार्यपालक अधिकारी को लिखित आवेदन देकर दावा किया जाएगा और उसका प्रतिदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके कब्जे में कुर्की के समय सम्पत्ति होगी ऐसी अधिशेष रकम जिसका दावा पूर्वोक्त छह मास के भीतर नहीं किया जाएगा, बोर्ड की सम्पत्ति हो जाएगी।

12. वारंट का निलम्बन—कार्यपालक अधिकारी, वारंट को उस दशा में निलम्बित या रद्द कर सकेगा, जहां उसका यह समाधान हो गया है कि ऐसा निलम्बन मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित है या जहां देय राशि और अधिनियम की धारा 94क (4) में विहित वसूली के खर्च व्यतिक्रमी द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं।

13. विक्रय की गई सम्पत्ति से बेदखली कार्यपालक अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 94क की उपधारा (5) के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई में बाधा डालता है, स्थावर सम्पत्ति से बेदखल करा सकेगा और ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

14. फीस प्रभारित करना—जारी किए गए प्रत्येक वारन्ट या की गई कुर्की के लिए फीस, ऐसी दरों से जो 500 रु. से कम और 1000 रु. से अधिक नहीं होंगी, जिसे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रभारित की जाएगी और ऐसी फीस को वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

15. फीस के माफी—बोर्ड स्वविवेकानुसार नियम 14 के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके भाग को माफ कर सकेगा।

16. सम्पत्ति पर दावा प्रस्तुत करने की रीति—किसी कर का संदाय करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका कुर्क की गई सम्पत्ति की बाबत कोई दावा है, कार्यपालक अधिकारी को लिखित में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

17. निष्पादन का निलम्बन —कार्यपालक अधिकारी, दावा प्राप्त होने पर, दावे की जांच होने तक वारन्ट का निष्पादन निलम्बित कर देगा।

18. निपटारा की रीति—(1) कार्यपालक अधिकारी, किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, दावे की एक प्रति देगा और उसे उसी समय एक लिखित सूचना देगा, जिसमें उससे अपना उत्तर, यदि कोई है, ऐसी सूचना के तामील होने के पांच दिन के भीतर, देने को अपेक्षा करेगा।

(2) कार्यपालक अधिकारी, उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दावे के संबंध में आदेश पारित करेगा जो अन्तिम होगा।

(3) सुनवाई के समय, पक्षकार स्वयं या काउन्सल के माध्यम से व्यपदेशन कर सकेंगे।

(4) यदि दावा, कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, तो विक्रय की कार्यवाही उसके द्वारा पारित आदेश के अधीन रहते हुए होगी, परन्तु कार्यपालक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, विक्रय की कार्यवाही के बजाय सम्पत्ति को कुर्की से निर्मुक्त कर सकेगा।

(5) यदि कार्यपालक अधिकारी दावे को नामंजूर कर देता है तो वह अधिनियम में और इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाही करेगा।

(6) कार्यपालक अधिकारी के किसी दावे को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी बात से कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति में दावेदार को कोई अधिकार, हक या हित प्रदान किया गया नहीं समझा जाएगा।

प्रपत्र सं. 1

स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की शर्तें

1. सम्पत्ति विक्रय के लिए ऐसी राशि पर रखी जाएगी जो कार्यपालक अधिकारी विक्रय के समय नियत करे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति क्रेता होगा। यदि सम्पत्ति के लिए अन्तिम या सबसे ऊंची बोली के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी पहली बोली फिर लगाई जाएगी और उसकी फिर विक्रय किया जाएगा।

2. कोई भी व्यक्ति किसी बोली पर उतनी राशि से कम का अग्रिम नहीं देगा जितनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाए या बोली वापस नहीं लेगा ।

3. विक्रय ऐसी आरक्षित बोली के अधीन रहते हुए होगा जो कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी ।

4. क्रेता विक्रय के समय, अपनी बोली के लिए बोली पत्र पर अपना नाम और पता लिखेगा और ऐसे पते पर क्रेता के लिए छोड़ी गई सभी लिखित सूचनाएं तथा संसूचनाएं उसे सम्यक रूप से परिदत्त और तामील की गई समझी जाएगी, जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व किसी अटर्नी या अधिवक्ता द्वारा न किया गया हो ।

5. क्रेता विक्रय के समय अपने विक्रय धन की रकम पर पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप कार्यपालक अधिकारी को संदाय करेगा अन्यथा सम्पत्ति को उसी समय पुन : विक्रय के लिए रखा जाएगा और उसका पुन विक्रय कर दिया जाएगा ।

6. क्रेता, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास के भीतर, अपने क्रय धन की रकम (निक्षेप के रूप में संदत्त रकम की कटौती करने के पश्चात) का संदाय कार्यपालक अधिकारी को करेगा यदि वह इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है, तो क्रेता अपने क्रय धन पर, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास (या ऐसी लम्बी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए) की समाप्ति से उस दिन तक जिसको उसका वस्तुत : संदाय कर दिया जाता है, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।

7. पूर्वोक्त रीति से क्रय धन का संदाय करने पर, क्रेता उस सम्पत्ति (के ऐसे भागों का) (जो खाली है), के कब्जे का और ऐसे संदाय के दिन से उन भागों के भाटक और उनसे होने वाले लाभों का हकदार हो जाएगा ।

8. क्रेता, क्रय धन के संदाय के दिन से पूर्व के किन्हीं व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी और भाटक तथा व्यय, यदि आवश्यक हुआ तो, क्रेता और कार्यपालक अधिकारी के बीच प्रभाजित किए जाएंगे । सम्पत्ति के लिए क्रय धन का संदाय कर दिए जाने पर, क्रेता अपने व्यय पर ऐसे कदम उठाएगा जो उक्त सम्पत्ति के क्रय या कब्जा करने के लिए आवश्यक हो और कार्यपालक अधिकारी उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति, क्रय की है जिससे यह प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है । ऐसे प्रमाण-पत्र उस स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस क्रेता देगा ।

9. यह विश्वास किया जाता है कि सम्पत्ति का विवरण सही है और उसे सही समझा जाएगा यदि सम्पत्ति की विशिष्टियों या विवरण में कोई गलती या अयथार्थ कथन या लोप किए जाने का पता चलेगा तो ऐसी गलती या अयथार्थ कथन या लोप से न तो विक्रय निष्प्रभाव होगा, न ही क्रेता को उसके क्रय से उन्मोचित किया जाएगा, और न ही उसकी बाबत क्रेता को कोई प्रतिकर किया जाएगा ।

10. उक्त सम्पत्ति की बाबत सम्पत्ति कर राज्य सरकार को देय भू-राजस्व, यदि कोई हो के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए उक्त सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होंगे ।

11. क्रेता से, विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति का हक प्रस्तुत करने या उसकी बाबत अन्वेषण करने या कोई आक्षेप या अध्यपेक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी बल्कि वह यह मानेगा कि सम्पत्ति के स्वामी को उक्त सम्पत्ति में उस समय वैध अधिकार और हक था ।

12. सम्पत्ति, विद्यमान अभिधृतियों और उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सभी अधिकारों और सुखाचारों, यदि कोई हों, और उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रभार की सभी सूचनाओं के अधीन रहते हुए, विक्रय की गई है । कार्यपालक अधिकारी को उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अधिकारी या सुखाचार के बारे में पता नहीं है ।

13. उक्त सम्पत्ति, अग्नि या अन्यथा के बारे में क्रेता की जोखिम पर उसी क्षण से होगी जब उसकी बोली उसके पक्ष में खत्म हो जाती है ।

14. यदि क्रेता ऊपर विनिर्दिष्ट समय पर या किसी ऐसे अन्य समय पर, जो कार्यपालक अधिकारी नियत करे, अपने क्रय धन का संदाय नहीं करेगा, तो निक्षेप के रूप में संदत्त रकम बोर्ड को समपहृत हो जाएगी और कार्यपालक अधिकारी सम्पत्ति का पुन : विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

प्रपत्र सं. 2

(बोली—पत्र का प्ररूप)

संदर्भ ————वाली सम्पत्ति की नीलामी विक्रय

बार्ड सं.
गली सं.
स्थान

मैंने, जिसका नाम इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है, तारीख को नीलामी द्वारा विक्रय में अपने नाम के सामने लिखी गई राशि के लिए बोली लगाई और ऐसे विक्रय के समय प्रस्तुत की गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे विक्रय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त सम्पत्ति का क्रेता हो गया :

सबसे ऊंची बोली की रकम	प्राप्त निक्षेप की रकम	शोध्य रह	क्रेता के हस्ताक्षर	क्रेता का पता और वर्णन
1	2	3	4	5

[फाईल सं. 53/9/छा. भू. व छा. /84/3512 डी. क्यू. एण्ड सी]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1986

S.R.O. 291.—Whereas a draft of certain rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 94-A of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) as required by sub-section (1) of section 280 of the said Act was published with the notification of Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 114, dated 25-2-1986, in the Gazette of India, Part II Section 4, dated the 15th March, 1986 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said Notification ;

Whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on the 20th March, 1986 ;

Whereas no objection or suggestion was received within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 94-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to exection of warrants for attachment and sale for immovable property.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Immovable property" means as defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

(d) words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Commencement of proceeding of sale.—Where an immovable property has been attached by an order under section 94-A of the Act, the Executive Officer shall, on expiry of fifteen days from the date of attachment proceed to dispose of the immovable property so attached by sale.

4. Sale to be by public auction.—Every sale of immovable property attached or sufficient protion thereof (if it is divisable) if the same can be conveniently served shall be made by public auction by order of the Executive Officer. The decision whether an immovable property can be conveniently served shall be made by the Executive Officer with the prior approval of the Board.

5. Notice of sale.—(1) A notice of every intended sale by public auction under these rules shall be published in such registered newspapers in circulation in the local areas, and as often as the Executive Officer shall direct, having regard to the nature and value of the property to be sold.

(2) The notice shall specify the date, time and place of sale and shall contain a description and particulars of the property.

6. Conditions of sale.—The Executive Officer shall fix a reserved bidding which shall not be divulged to any person either before, at or after the sale. Every sale shall be regulated by conditions which shall generally conform to those specified in Form 1. Any deviation therefrom shall be determined by the Board and duly approval by the Director. A copy of the notice and conditions of sale as specified in Form shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the office of the Cantonment Board and also, when the property is land paying revenue to the Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situate and at such other places as the Board may direct.

7. Postponement of sale.—If there be no bid or the highest bid be below the reserved price, the Executive Officer shall postpone the sale.

8. Deposit to be made forthwith.—If the amount to be deposited be not a once paid to or deposited with the Executive Officer, the bid of the person, who would otherwise have been declared to be the purchaser, shall be rejected and the property shall immediately be again put up for sale.

9. When bid less than the reserved price can be accepted.—The Executive Officer may, for reasons to be recorded in writing, and subject to the prior approval of the Director accept a bid for less than the reserved price.

10. Application of sale proceeds.—The Executive Officer shall apply the proceeds of sale or such part thereof as shall be required in discharge of the sum due and of the costs of recovery. The fees if any, for the sale and attachment of immovable property shall also be included in the costs of recovery.

11. Surplus amount how to be refunded.—The surplus, if any, shall be forthwith credited to the Cantonment Fund and the same be claimed by written application to the Executive Officer within six months from the date of sale and the refund thereof shall be made to the person in possession of the property at the time of the attachment and any surplus not claimed within six months as aforesaid shall be the property of the Board.

12. Suspension of warrant.—The Executive Officer may suspend or cancel the warrant where he is satisfied that such suspension is warranted by the circumstances of the case or where the sum due and the costs of recovery have been paid by the defaulter as prescribed in section 94-A (4) of the Act.

13. Eviction from the property sold.—The Executive Officer may cause the eviction of any person who obstructs any action taken in pursuance of sub-section (5) of section 94-A of the Act from the immovable property by any police officer and may also use such force as is reasonably necessary to effect entry on the said property.

14. Fee to be charged.—For every warrant issued or attachment made, fees shall be charged at such rates not less than Rs. 500 and not more than Rs. 1,000 as the Board may, from time to time, specify with the sanction of the Central Government and such fees shall be included in the costs of recovery.

15. Remission of fee.—The Board may, in its discretion, remit the whole or part of any fee chargeable under rule 14.

16. Manner of preferring claim over property.—A person, other than the person liable for the payment of any tax, who has any claim in respect of a property attachment may prefer a claim in writing to the Executive Officer.

17. Suspension of execution.—The Executive Officer shall, on receipt of the claim suspend the exectuion of the warrant pending enquiry into the claim.

18. Manner of settlement.—(1) The Executive Officer shall furnish a copy of the claim to the person liable for the payment of any tax and at the same time give written notice calling upon him to submit his reply, if any, within seven days of service of such notice.

(2) The Executive Officer shall, on receipt of the reply, if any, and after giving both the parties an opportunity of being heard pass an order with regard to the claim which shall be final.

(3) At a hearing, the parties may represent in person or through a counsel.

(4) If the claim is allowed by the Executive Officer the sale proceedings shall be subject to the or passed by him provided that the Executive Officer may, in his discretion, release the property from attachment instead of proceeding with the sale.

(5) If the Executive Officer rejects the claim, he shall proceed with the sale of the immovable property as provided for in the Act and under these rules.

(6) Nothing in the order of the Executive Officer accepting a claim shall be deemed to confer on the claimant any right, title or interest in the immovable property attached.

FORM NO. 1

Conditions of Sale of Immovable Property

1. The property shall be put up for sale at a sum to be fixed by the Executive Officer at the time of sale. The highest bidder shall be the purchaser. If any dispute arises as to the last or highest bidding for the property, the said shall be put up again at a former bidding and re-sold.

2. No person shall at any bidding advance a less sum than shall be fixed by the Executive Officer or retract a bid.

3. The sale is subject to a reserved bidding which will be fixed by the Executive Officer.

4. The purchaser shall at the time of sale subscribe his name and address to his bidding in the Bidding Paper and all written notices and communications shall be deemed duly delivered to and served upon the purchaser by being left for him at such address unless or until he is represented by an Attorney or Advocate.

5. The purchaser shall at the time of sale pay a deposit of twenty-five per cent on the amount of his purchase money to the Executive Officer otherwise the property shall be again immediately put up and resold.

6. The purchaser shall pay the amount of his purchase money (after deducting the amount paid as a deposit) to the Executive Officer within one calender month from the day of sale. If the same be not so paid, then the purchaser shall pay interest on his purchase money at the rate of six per cent per annum from the end of one calendar month from the day of sale (or such longer period as may be allowed) to the day on which the same is actually paid.

7. Upon payment of the purchase money in the manner aforesaid, the purchaser shall be entitled to possession of (such parts of) the property (as are vacant) and to the rents and profits of such parts as are let as from the day of such payment.

8. The purchaser shall not be liable to pay and outgoings previous to the day of payment of the purchase money and rents and outgoings, shall be apportioned between the purchaser and the Executive Officer, if necessary. On the purchaser money for the property being paid the purchaser shall at his own expense take such steps as may be necessary for the purchase of obtaining possession of the said property and the Executive Officer shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate relates. The stamp duty and registration fee on such certificate shall be borne by the purchaser.

9. The description of the property is believed to be correct and shall be taken as correct. If any error or misstatement or omission shall appear to have been made in the particulars or description of the property, such error or mis-statement or omission shall not annul the sale nor entitle the purchaser to be discharged from his purchase, nor shall any compensation be made to be purchase in respect thereof.

10. Property taxes in respect of the said property are a first charges on the said property subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government.

11. The purchaser shall not require the production of or investigate into or make any objection or suggestion in respect of the title of the property put up for sale but shall assume that the owner of the property had then good right and title to the said property.

12. The property is sold subject to existing tenancies and to all rights and easements, if any, affecting the same and subject to all notices of any kind relating to the said property. The Executive Officer is not aware of any such right or easement affecting the said property.

13. The said property shall be at the risk as to fire or otherwise of the purchaser from the moment the same is knocked down to him.

14. If the purchaser shall not pay his purchase money at the time above specified or at other time which may be fixed by the Executive Officer, the amount paid as a deposit shall be forefeited to the Board and the Executive Officer shall be at liberty to re-sell the property.

FORM NO. 2

(Form of Bidding Paper)

Re : Auction sale of the property bearing———————
Ward No.———————
Street No.———————
Situate at———————
———————

I, whose name is hereunder subscribed bid at the sale by auction on the ..... day of ..... one thousand nine hundred and..... the sum set opposite to my name for, and became the purchaser of the above property specified in the notification of such sale, subject to the conditions produced at such sale :—

Amount of highest bidding	Amount of deposit received	Amount remaining due	Signature of the purchaser	Purchaser's address and description
1	2	3	4	5

[File No. 53|9|C|L&C|84|35|12|D(Q&C)|86]
KARTAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986

का. नि. आ. 192 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राडार और संचार परियोजना कार्यालय, रक्षा मंत्रालय में सर्वेक्षक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, राडार और संचार परियोजना कार्यालय (सर्वेक्षक अधिकारी) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सर्वेक्षक अधिकारी	2*(1986)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-दरो-35 880-40-1000-दरो-40-1200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक/इन्टर-मीडिएट या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण में डिप्लोमा या भारतीय सर्वेक्षक संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (3) सर्वेक्षण उपकरण संभालने में 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1– अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2– अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय : खगोलीय सर्वेक्षण में अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 550-800/900 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 425–700/800 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ (8) में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के खसी या कुछ अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त सचिव (स्थापन), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष 2. उप सचिव प्रशासनिक रूप से संबंधित, रक्षा मंत्रालय — सदस्य 3. राडार और संसूचना परियोजना रक्षा मंत्रालय से परियोजना इंजीनियर की की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी किन्तु, यदि उक्त आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए/06857/मु. प्र. अ/आर II]

New Delhi, the 19th August, 1986

S.R.O. 292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Surveyor Officer in Radar and Communication Project Office, Ministry of Defence namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Radar and Communication Project Office (Surveyor Officer) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the persnoal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Surveyor Officer	2* (1986) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	No

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Higher Secondary/Intermediate with Mathematics as a subject from a recognised Board or University or equivalent. (ii) Diploma in Survey from a recognised Institute or Pass in the Final Examination of the Institute of Surveyors (India) or equivalent. (iii) 3 year's experience in handling survey equipment. Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Experience in astronomical survey.	Not applicable	Two years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Transfer on deputation : Officers of the Central/State Governments— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 year's regular service in posts in the pay scale of Rs. 550-800/900 or equivalent; or (iii) with 8 year's regular service in posts in	Group 'B' Departmental Promotion Committee: (for considering confirmation) : 1. Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence—Chairman. 2. Deputy Sectetary Administratively concerned, Ministry of Defence—Member. 3. An officer of the Status of Project Engineer from Radar and Communicat[illegible]n Project	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(12)	(13)	(14)
the scale of Rs. 425–700/800 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications prescribed in column (8). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Office, Ministry of Defence—Member. 4. Chief Administrative Officer, Ministry of Defence—Member. Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[F. No. A|06857|CAO|R-II]

का. नि. आ. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, राडार और संचार परियोजना कार्यालय (सर्वेक्षक सहायक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 1983 को निरसित करते हैं।

[फा. सं. ए./06857 मुप्रअ/आर-2]

जयंत शांताराम जोशी, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

S.R.O. 293.—In exercise of the powersc onferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby repeals the Ministry of Defence, Radar and Communication Project Office (Surveyer Assistant Grade II) Recruitment Rules, 1983.

[File No. A|06857|CAO|R-II]

J. S. JOSHI, Dy. Chief Administrative Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986